भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद
केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जोधपुर

फाइल संख्या : 11(5)2011–2012/प्रषा.चतुर्थ/ **दिनांक : 12.12.2011**

नीलामी सूचना

केन्द्रीय षुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान (काजरी), जोधपुर में बेर के बगीचों मे लगभग 1200 फल लगे पेड़ विभिन्न किस्मों जैसे गोला, सेव, मुंडिया, उमरान इत्यादि तथा गून्दा के बगीचे जिनमें लगभग 300 फल लगे पेड़ हैं । जिनके फलों की नीलामी दिनांक 17.12.2011 को प्रातः 11.00 बजे की जाएगी ।

जो व्यक्ति/पार्टी इच्छुक हैं वे निष्चित दिनांक एवं समय पर इस संस्थान के सभा भवन में उपस्थित होकर नीलामी में भाग ले सकते हैं ।

नीलामी की कुछ षर्तें निम्न प्रकार होगी –

1. बेर/गून्दे की नीलामी में सम्मिलित होने वाले इच्छुक व्यक्ति/पार्टी को बोली लगाने से पूर्व बेर की नीलामी हेतु रूपये 10000/–और गून्दे की नीलामी हेतु रूपये 5000/– धरोहर राषि के रूप में जमा कराने होंगे । जो कि ठेका पारित होने पर ठेका लेने वाले के अलावा अन्य सभी को वापिस लौटा दिये जाएंगे ।
2. प्रत्येक ठेके में पारित अधिकतम राषि का आधा भाग ठेके की बोली समाप्त होने के तुरन्त बाद एवं आधी राषि फलों की षुरू हो रही पहली तुड़वाई के दिन जमा कराने होंगे ।
3. ठेकेदार को इस कार्यालय प्रांगण में एक विक्रय स्थल रखने के लिए वांछित सुविधा दी जाएगी ।
4. बेर/गून्दे के फलों का निरीक्षण एवं अन्य जानकारी हेतु संबंधित अधिकारी उध्यान विभाग में कार्यालय समय प्रातः 10.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक स्वयं उपस्थित होकर सम्पर्क कर सकते हैं।
5. अन्य षर्तें बोली लगाने से पहले बता दी जाएगी ।
6. ठेका छोड़ने व न छोड़ने का अधिकार निदेषक, के.षु.क्षे.अ.सं. (काजरी), जोधपुर का होगा ।
7. अन्य विस्तृत विवरण, नियम व षर्ते हेतु इस संस्थान की वेब साइट www.cazri.res.in देखें ।

सहायक प्रषासकीय अधिकारी
वास्ते निदेषक

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्
केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जोधपुर

फाईल नं0 11(5)2011–2012 / प्रशासन चतुर्थ दिनांक 12.12.2011

नीलामी सूचना

केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान (काजरी), जोधपुर में बेर के बगीचे में लगभग 1200 फल लगे पेड़ विभिन्न किस्मों जैसें गोला, सेव, मुंडिया उमरान इत्यादि के हैं इनमें 120पेड़ टेकनोलोजी पार्क एवं 50 पेड़ प्रयोग स्थल एकीकृत फसल पद्वति (Integrated farming system experiment) में लगे हुए भी सम्मिलित हैं इनकी नीलामी फलों की ऋतु 2011–2012 हेतु दिनांक 17.12.2011 को प्रातः 11.00 बजे इस संस्थान के सभा भवन में होगी । जो व्यक्ति / पार्टी इच्छुक है वे निष्चित दिनांक एवं समय पर उपस्थित होकर नीलामी में भाग ले सकते है।

नीलामी की कुछ षर्ते निम्न प्रकार होगी :–

1 नीलामी में सम्मिलित होने वाले इच्छुक व्यक्ति / पार्टी को बोली लगाने से पूर्व रूपये 10000 / – धरोहर राषि के रूप में जमा कराने होंगे जो कि ठेका पारित होने पर ठेका लेने वाले के अलावा अन्य सभी को वापिस लौटा दिये जाएंगे ।
2 प्रत्येक बोलीदाता को कम से कम 500 / – रुपये के अन्तर से बोली आगे बढानी होगी ।
3 ठेके मे पारित अधिकतम राषि का आधा भाग ठेके की बोली समाप्त होने के तुरन्त बाद एवं आधी राषि फलों की षुरू हो रही पहली तुड़वाई के दिन जमा करानी होगी।
4 ठेकेदार द्वारा ठेके की अनुपालना तथा ठेके की स्वीकृत राषि समयानुसार जमा कराने के संबंध में एक बन्धक वांच्छित स्टाम्प पेपर पर भरकर प्रस्तुत करने के बाद ही बेर के फलों की तुड़ाई षुरू करनी होगी।
5 ठेके की स्वीकृत षर्तो में से किसी भी षर्त का ठेकेदार द्वारा उल्लंघन किये जाने पर निदेषक को ठेका निरस्त करने का अधिकार होगा और ठेकेदार द्वारा कार्यालय में कराई गई समस्त जमा राषि जब्त समझी जायेगी।
6 ठेकेदार अथवा उनके मजदूरों द्वारा बेर के पेड़ों को किसी प्रकार का नुकसान करने पर ठेकेदार को निदेषक द्वारा निर्धारित क्षतिपूर्ति राषि जमा करानी होगी।
7 बेर तोड़ने के पष्चात् उनकी तुड़ाई संबंधित कार्य प्रातः 9.00 बजें से 3.00 बजें तक इस कार्यालय के अधिकृत अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा, प्रत्येक पेड़ की उपज का तौल आदि का पूर्ण ब्यौरा रखा जायेगा ।
8 अधिकतम बोली लगाने वाले ठेकेदार को ठेके की राषि के अलावा सिक्यूरीटी राषि (ठेके की राषि का 10%) भी अलग से जमा करानी होगी जो कि ठेके की समस्त षर्तो की अनुपालना व ठेका अवधि पूरी होने के पष्चात् वापिस देय होगी।
9 ठेकेदार द्वारा इस कार्यालय प्रागंण में एक विक्रय स्थान रखने के लिए वांछित सुविधा दी जायेगी ।
10 फलो की देख–रेख की जिम्मेदारी स्वंय ठेकेदार की होगी।
11 बेर फल तुड़ाई के लिये पेड़ हिलाये नही जायेगें।
12 चौकीदारी इत्यादि में लगायें गये व्यक्तियों की सूची संस्थान के संबंधित वैज्ञानिक व सुरक्षा अधिकारी को देनी होगी।
13 ठेका छोड़ने व न छोड़ने का अधिकार निदेषक, केन्द्रीय षुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जोधपुर (काजरी) को होगा ।
14 ठेकेदार या उसके अधिनस्थ मजदूर को षिकार करने या षराब पीये हुए पाये जाने पर उचित कार्यवाही की जायेगी।
15 इस ठेके की अवधि ठेका आरम्भ की दिनांक से 15 मार्च 2012 तक मान्य होगी ।
16 अन्य षर्ते बोली के समय बता दी जायेगी ।
17 ठेकेदार को 200 किलो चयनित वैरायटी बेर के फल अनुसंधान / अन्य उद्देष्य हेतु आरक्षित रखने होंगे तथा वगेर पैसें संस्थान को देने होंगें।
18 ठेकेदार / फर्म / एजेन्सी को अपने श्रमिकों को भारत सरकार / राज्य सरकार के नियमानुसार न्यूनतम मजदूरी इनमें से जो भी अधिक हो, देनी होगी । सभी श्रमिक कानून व नियमों जैसे– ESI/EPF/Service Tax etc. का पूर्ण रूप से पालन करना होगा तथा सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये सभी

अनुदेशों/श्रम कानूनों इत्यादि का पूर्ण अनुसरण/निर्वाह करना होगा। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, श्रमिक कानूनों, नियमों, अनुदेशों व समय–समय सरकार द्वारा इस संबंध में जारी आदेशों इत्यादि की ठेकेदार द्वारा पालना न करने पर इसकी सम्पूर्ण जिम्मेवारी ठेकेदार की होगी ।

19 श्रमिको को श्रम कानूनो के अनुसार स्वास्थ्य एवं कल्याणकारी सुविधाए ठेकेदार द्वारा आवश्यकतानुसार प्रदान करना अनिवार्य होगा।

20 काजरी परिसर में जंगली जानवरों, पशु पक्षियों को नुकसान पहुॅचाना या इनका शिकार करना वर्जित है। ऐसा करने वाले उस संविदा मजदूर तथा संबंधित ठेकेदार के विरूद्ध आवश्यक कार्रवाई की जाएगी ।

21 ठेकेदार को ठेका कार्य के दौरान मजदूरो को आधारभूत सुविधाएं ठेका कार्यस्थल पर उपलब्ध करानी होगी जैसें पीने का पानी, छाया इत्यादि।

22 किसी प्रकार का विवाद होने की स्थिति में निर्णय का अन्तिम अधिकार निदेशक, के0षु0क्षे0अ0सं0 (काजरी) का होगा ।

23 सभी विवादों को निपटाने का क्षेत्राधिकार जोधपुर होगा।

निदेषक
केन्द्रीय षुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जोधपुर

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्

केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जोधपुर

फाईल नं0 11(5)2011–2012/प्रशासन चतुर्थ दिनांक 12.12.2011

नीलामी सूचना

केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान (काजरी), जोधपुर में गून्दे के बगीचे में अलग–अलग आयु वर्ग के लगभग 300 पेड़ हैं इनमें से लगभग 150 गून्दे के पेड़ों में फल आने की सम्भावना है । इनकी नीलामी फलों की ऋतु 2011–2012 हेतु दिनांक 17.12.2011 को प्रातः11.00 बजे इस संस्थान के सभा भवन में होगी । जो व्यक्ति/पार्टी इच्छुक है वे निष्चित दिनांक एवं समय पर उपस्थित होकर नीलामी में भाग ले सकते है।

नीलामी की कुछ षर्ते निम्न प्रकार होगी :–

1 नीलामी में सम्मिलित होने वाले इच्छुक व्यक्ति/पार्टी को बोली लगाने से पूर्व रूपये 5000/– धरोहर राषि के रूप में जमा कराने होंगे जो कि ठेका पारित होने पर ठेका लेने वाले के अलावा अन्य सभी को वापिस लौटा दिये जाएंगे ।

2 प्रत्येक बोलीदाता को कम से कम 100/– रुपये के अन्तर से बोली आगे बढानी होगी ।

3 ठेके मे पारित अधिकतम राषि का आधा भाग ठेके की बोली समाप्त होने के तुरन्त बाद एवं आधी राषि फलों की षुरू हो रही पहली तुड़वाई के दिन जमा करानी होगी।

4 अच्छे और समान आकार के गून्दा फलों की फसल हेतु दिसम्बर के अन्तिम सप्ताह में इन पेड़ों की पतझड़ (पत्ते तुड़ाई कार्य) आवष्यक है जो कि ठेका आवंटित किये गये ठेकेदार को करनी होगी ।

5 ठेकेदार द्वारा ठेके की अनुपालना तथा ठेके की स्वीकृत राषि समयानुसार जमा कराने के संबंध में एक बन्धक वांच्छित स्टाम्प पेपर पर भरकर प्रस्तुत करने के बाद ही बेर के फलों की तुड़ाई षुरू करनी होगी।

6 ठेके की स्वीकृत षर्तो में से किसी भी षर्त का ठेकेदार द्वारा उल्लंघन किये जाने पर निदेषक को ठेका निरस्त करने का अधिकार होगा और ठेकेदार द्वारा कार्यालय में कराई गई समस्त जमा राषि जब्त समझी जायेगी।

7 ठेकेदार अथवा उनके मजदूरों द्वारा गून्दे के पेड़ों को किसी प्रकार का नुकसान करने पर ठेकेदार को निदेषक द्वारा निर्धारित क्षतिपूर्ति राषि जमा करानी होगी।

8 गून्दे फल तुड़ाई संबंधित कार्य प्रातः 9.00 बजें से 3.00 बजें तक इस कार्यालय के अधिकृत अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा, प्रत्येक पेड़ की उपज का तौल आदि का पूर्ण ब्यौरा रखा जायेगा ।

9 अधिकतम बोली लगाने वाले ठेकेदार को ठेके की राषि के अलावा सिक्यूरीटी राषि (ठेके की राषि का 10%) भी अलग से जमा करानी होगी जो कि ठेके की समस्त षर्तो की अनुपालना व ठेका अवधि पूरी होने के पष्चात् वापिस देय होगी।

10 ठेकेदार द्वारा इस कार्यालय प्रागंण में एक विक्रय स्थान रखने के लिए वांछित सुविधा दी जायेगी ।

11 फलो की देख–रेख की जिम्मेदारी स्वंय ठेकेदार की होगी।

12 चौकीदारी इत्यादि में लगायें गये व्यक्तियों की सूची संस्थान के संबंधित वैज्ञानिक व सुरक्षा अधिकारी को देनी होगी।

13 ठेका छोड़ने व न छोड़ने का अधिकार निदेषक, केन्द्रीय षुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जोधपुर (काजरी) को होगा ।

14 ठेकेदार या उसके अधिनस्थ मजदूर को षिकार करने या षराब पीये हुए पाये जाने पर उचित कार्यवाही की जायेगी।

15 अन्य षर्ते बोली के समय बता दी जायेगी ।

16 ठेकेदार को 20 किलो चयनित वैरायटी गून्दे के फल अनुसंधान हेतु आरक्षित रखने होंगे तथा वगेर पैसें संस्थान को देने होंगें।

17 ठेके की अवधि ठेका षुरू होने की दिनांक से दिनांक 15 मई 2012 तक मान्य होगी ।

18 ठेकेदार/फर्म/एजेन्सी को अपने श्रमिकों को भारत सरकार/राज्य सरकार के नियमानुसार न्यूनतम मजदूरी इनमें से जो भी अधिक हो, देनी होगी । सभी श्रमिक कानून व नियमों जैसे– ESI/EPF/Service Tax etc. का पूर्ण रूप से पालन करना होगा तथा सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये सभी अनुदेशों/श्रम कानूनों इत्यादि का पूर्ण अनुसरण/निर्वाह करना होगा। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, श्रमिक

कानूनों, नियमों, अनुदेशों व समय–समय सरकार द्वारा इस संबंध में जारी आदेशों इत्यादि की ठेकेदार द्वारा पालना न करने पर इसकी सम्पूर्ण जिम्मेवारी ठेकेदार की होगी ।

19 श्रमिको को श्रम कानूनो के अनुसार स्वास्थ्य एवं कल्याणकारी सुविधाए ठेकेदार द्वारा आवश्यकतानुसार प्रदान करना अनिवार्य होगा।

20 काजरी परिसर में जंगली जानवरों, पशु पक्षियों को नुकसान पहुँचाना या इनका शिकार करना वर्जित है। ऐसा करने वाले उस संविदा मजदूर तथा संबंधित ठेकेदार के विरूद्व आवश्यक कार्रवाई की जाएगी ।

21 ठेकेदार को ठेका कार्य के दौरान मजदूरो को आधारभूत सुविधाएं ठेका कार्यस्थल पर उपलब्ध करानी होगी जैसें पीने का पानी, छाया इत्यादि।

22 किसी प्रकार का विवाद होने की स्थिति में निर्णय का अन्तिम अधिकार निदेशक, के0षु0क्षे0अ0सं0 (काजरी) का होगा ।

23 सभी विवादों को निपटाने का क्षेत्राधिकार जोधपुर होगा।

निदेषक
केन्द्रीय षुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जोधपुर